

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAMNATH MARG, DELHI-110054

No.F.8(19)/98-DAM/MR/ 4883

Dated : 28-09-2010

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of sub-section (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the following bye-laws are made and adopted by the Agricultural Produce Marketing Committee (MNI), Azadpur and confirmed by the Director are hereby notified as under :

“ BYE-LAWS ”

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) & (2) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 and with the previous approval of Delhi Agricultural Marketing Board vide resolution No. 64/2010 dated 06.07.2010, the Agricultural Produce Market Committee (MNI), Azadpur hereby makes the following Bye-Laws further to amend the Azadpur Agricultural Produce Market Committee Bye-Laws, namely :-


Short title and Commencement 1. (i) These Bye-Laws may be called the Azadpur Agricultural Produce Market Committee (MNI), (Amendment) Bye-Laws, 2010.

(ii) These shall come into force at once.

Amendment of Bye-Law No. 49

Charging of Commission from
Sellers instead of Buyers

2. Existing Bye-Law 49(3) Part I is amended to the effect that though the Commission shall be charged at the existing rate of 6% but it shall be charged from the Farmers/Sellers and not from Buyers.


(KAILASH CHANDRA)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI


- : 2 : -

No.F.8(19)/98-DAM/MR/ 4884-4909

Dated : 28-09-2010

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. The Chairman/Secretary, Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Bagh Diwar/Mori Gate and Flower Marketing Committee, Mehrauli, Delhi.
11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.


(KAILASH CHANDRA)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

कृषि विपणन निदेशालय
(विकास विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं. एफ 8/19/98-डी0ए0एम0/एम0आर0/ 4883

दिनांक : 28-09-2010

अधिसूचना

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999 की धारा 118 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसरण में कृषि उत्पाद विवरण समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर द्वारा निर्मित और स्वीकृत तथा निदेशक द्वारा पुष्टिकृत निम्नलिखित उप-विधियाँ एतद् द्वारा अधिसूचित की जाती हैं :-

उपविधियाँ

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999 की धारा 118 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के दिनांक 06 जुलाई, 2010 के संकल्प संख्या 64/2010 के पूर्व अनुमोदन से कृषि उत्पाद विपणन समिति, (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, कृषि विपणन समिति उपविधियों में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :-


(1) ये उपविधियाँ आजादपुर कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी) (संशोधन) उपविधियाँ, 2010 कहीं जायें ।

(2) ये तत्काल लागू होंगे ।

2 उप-विधि-49 का संशोधन

विक्रेता की अपेक्षा क्रेता से कमीशन वसूलना :-

वर्तमान उपविधि 49 (3) भाग 1 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि यद्यपि वर्तमान 6 प्रतिशत कमीशन दर लागू रहेगी परन्तु यह क्रेता से नहीं अपितु किसान/विक्रेता से वसूल की जायेगी ।



(कैलाश चन्द्र)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं. एफ 8/19/98-डी0ए0एम0/एम0आर0/4884-4909

दिनांक : 28-05-2010

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 7 विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 8 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
- 10 अध्यक्ष/सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, बाग दीवार/मोरी गेट एवम् पुष्प विपणन समिति, महारौली, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।

कैलाश चन्द्र
(कैलाश चन्द्र)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार